

प्रकरण संजीवित क्र.
दिनांक
उपसंचालक कृषि/उद्यान/सहायक संचालक उद्यान जिला.....

केंद्र पोषित एवं राज्य सहायता प्राप्त
माइक्रो ईरीगेशन योजना अन्तर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापना हेतु कृषक का
आवेदन पत्र
(हम प्रतियों में प्रस्तुत करें)

प्रति

उपसंचालक कृषि/उद्यान/सहायक संचालक उद्यान
(सचिव जिला माइक्रो ईरीगेशन कमेटी)
जिला

आवेदक का फोटो

- 1 आवेदक का नाम :
- 2 पिता/पति का नाम :
- 3 जाति (अनुजाति/अनुजनजाति/
निछडा वर्ग/अन्य) :
- 4 लिंग (पुरुष/महिला) :
- 5 आवेदक की उम्र :
- 6 ग्राम :
- 7 विकास खण्ड :
- 8 जिला :
- 9 (1) आवेदक के निवास का पता :
- यदि फोन अथवा मोबाइल उपलब्ध
हो तो नम्बर :
- 9 (2) आवेदक छ ग. में कब से निवासरत है :
- आवेदक का विगत न्यूनतम 10 वर्षों से
छ ग. नियारी होना अनिवार्य है) :
- 10 आवेदक की कुल जोत : खसरा नम्बर :
- क्षेत्र हैक्टेयर में :
- 11 आवेदक का खसरा नम्बर, जिसमें :
- सिंचाई श्रोत उपलब्ध है । :
- 12 (अ) सिंचाई श्रोत का विवरण :
- नलकूप/कुआ/नदी-नाला (बारहमासी) :
- (ब) क्या सिंचाई श्रोत में पंप स्थापित है :
- (स) यदि हाँ तो पंप का प्रकार (विद्युत/डीजल)
एवं क्षमता (घघ मी) :

13. वर्तमान में लगाई जा रही फसलों की जानकारी : क० फसल का नाम हैक्टयर

14. क्या वर्तमान में कृषक के पास माईको ईरीगेशन सुविधा उपलब्ध है, यदि हां तो निम्न पत्र में जानकारी दें :-

क०	खसरा नम्बर	फसल का नाम	वर्तमान में माईको ईरीगेशन के अंतर्गत क्षेत्र हैक्टयर में (ड्रिप/सिप्रकलर उल्लेखित करें)	माईको ईरीगेशन निर्माता कंपनी का नाम/किसी नाम	यदि किसी योजना के अंतर्गत अनुदान लाभ प्राप्त किया हो तो ली अनुदान राशि में अनुदान प्राप्ति का वर्ष
1	2	3	4	5	6

15. माईको ईरीगेशन योजनान्तर्गत जिन फसलों में आवेदक माईको ईरीगेशन सिस्टम स्थापित करना चाहता है, की जानकारी :- (यदि आवेदक ड्रिप एवं सिप्रकलर दोनों सिस्टम हेतु अनुदान चाहता है तो निम्न पत्र में विस्तृत जानकारी दें)

क०	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	उपलब्ध सिंचाई साधन	फसल का नाम	प्रस्तावित सिस्टम	आवश्यक माईको सिस्टम ड्रिप/ सिप्रकलर
1	2	3	4	5	6	7

कमरा..... 3

18. अ) क्या कृषक द्वारा नूदा एवं सिंचाई जल का परीक्षण कराया गया है- हां/नहीं
द) यदि हां तो परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न किया जावे।
17. मर द्वारा दिनांक का स्थान जिला में माईको इरीगेशन विषय पर परीक्षण प्राप्त कर लिया गया है।
18. कृषक हेमिस की शरीर हतु विलेय की स्थिति :
- अ) बैंक एड शाखा का नाम जिससे अवेदक ऋण प्राप्त करना चाहता है :
- ब) स्वयं के श्रोत से :
19. कृषक द्वारा चयनित माईको इरीगेशन प्रदायक कर्मचारी का नाम :

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे ज्ञान से उपरोक्त समस्त जानकारी सत्य निष्ठा से दी गई है। यदि कोई जानकारी असत्य/बुद्धिपूर्ण पायी जाती है तो मेरा आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाय।

अवेदक कं हस्ताक्षर

नाम :

पता :

संलग्नक-

1. पांच सालाना खसरा एवं नक्शा (जल श्रोत के चिन्हांकन सहित)
2. निवास प्रमाण पत्र।
3. योजना अन्तर्गत प्राप्त माईको इरीगेशन सिस्टम को आगामी तीन वर्षों तक किसी अन्य को विक्रय/दान अथवा अन्य किसी विधि से हस्तान्तरित नहीं करने के आशय का अनुबन्ध पत्र।
4. कृषक को इस आशय का भी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा कि उसके खेत में लगे माईको इरीगेशन सिस्टम का निरीक्षण कृषि/उद्यान/अन्य अधिकारी जिसे राज्य शासन/ कन्द्र शासन ने अधिकृत किया है द्वारा आगामी तीन वर्षों तक कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
5. स्पीकलर/डीप हतु पूर्व में लिये गये अनुदान संबंधी प्रमाण-पत्र।

नोट :-

1. माईको इरीगेशन सिस्टम की स्थापना में सिस्टम के अतिरिक्त अन्य लगने वाले व्यय जस्तु सिंचित कार्य दूध खुदाई विद्युत कनेक्शन आदि की व्यवस्था कृषक को स्वयं करनी होगी तथा इसका व्यय कृषक को स्वयं करना होगा।
2. इस योजना के अंतर्गत लघु सीमान्त कृषकों को इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो का 70 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत तक अनुदान की पात्रता केवल 5 हेक्टर तक के लिए ही होगी।

क्रमशः 4.

आयुक्त के सुनने का समय का सन्तुष्टि किया जाता है कि जिस खेत एवं खुसरा मन्दार के लिए आयुक्त ने मईके ईरीगेशन सिस्टम स्थापित करने हेतु आवदन किया है उन खुसरा मन्दार में जल श्रोत एवं विद्युत पंप/डीजल पंप कार्यरत उपलब्ध है। कृषक के खेत में मईके ईरीगेशन सिस्टम ड्रिप/स्प्रिंकलर/मईके ईरीगेशन योजना अन्तर्गत स्थापित करवाने की अनुमति दी जाती है।

ग्रा0 कृ0 वि0 अधिकारी/ग्रा.उद्यान वि. अधिकारी

सरपंच ग्राम पंचायत

प्रकरण का परीक्षण किया गया स्थल का निरीक्षण किया गया। कृषक मईके ईरीगेशन सिस्टम ड्रिप/स्प्रिंकलर/इतु इयटंयर इतु अनुदान की पात्रता रखता है प्रकरण स्वीकृति की अनुमति दी जाती है।

वरिष्ठ कृषि/उद्यान विकास अधिकारी
विकासखंड

प्रति

उपसंचालक कृषि/उद्यान/सहायक संचालक उद्यान
जिला

प्रकरण निम्न कारणों से निरस्त किया जाता है :-

- 1)
- 2)
- 3)

वरिष्ठ कृषि/उद्यान विकास अधिकारी
विकासखंड

- अनुबंध पत्र -

मैं आत्मज
विकासखंड जिला
माइको इरीगेशन योजना के तहत मेरे द्वारा केंद्र कोमित एवं राज्य शासन से प्राप्त सहायता अंतर्गत क्रियान्वित हो रही
माइको इरीगेशन योजनांतर्गत हेक्टेयर हेतु माइको इरीगेशन
योजना रिप्रकलर तैयार करवाये जाने के लिये रु का लाभ अनुदान के रूप में
प्राप्त किया है।

यदि माइको इरीगेशन योजनांतर्गत स्थापित ड्रिप/रिप्रकलर सेट को
किसी अन्य व्यक्ति को अगामी तीन वर्षों तक में किसी को विक्रय नहीं करूंगा और ना ही
किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य विधि से किसी को हस्तांतरित ही करूंगा।

मेरे द्वारा माइको इरीगेशन योजनांतर्गत स्थापित किये गये माइको इरीगेशन सिस्टम
(ड्रिप/रिप्रकलर) का कृषि/सहायिका/अन्य अधिकारी जिसे राज्य शासन/केंद्र शासन द्वारा
अधिकृत किया गया हो, द्वारा अगामी तीन वर्षों तक कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

4. यदि मेरे द्वारा कडिका-2 में दर्शायी गई विधि से माइको इरीगेशन सिस्टम किसी को
हस्तांतरित किया जाता है तो केंद्र शासन/राज्य शासन मुझसे अनुदान का राशि भू-राजस्व की
गति परतल करने हेतु सक्षम होगी।

दो गवाह:-

1)

2)

हस्ताक्षर

(कृषक का नाम)

पता :-

- प्रमाण पत्र -

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे एवं मेरे परिवार द्वारा माइको इरीगेशन हेतु (ड्रिप एवं
रिप्रकलर) किसी भी योजना से अनुदान का लाभ नहीं लिया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे एवं मेरे परिवार द्वारा केंद्र शासन/राज्य शासन की
..... योजनांतर्गत वर्ष में

हेतु रिप्रकलर/ड्रिप हेतु प्रतिशत की दर से राशि रु
अनुदान का लाभ प्राप्त किया गया है।

(जो लागू नहीं है उसे काटें)

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम	-
आत्मज	-
ग्राम	-
विकासखंड	-
जिला	-

R